फर्द अहकाम

मगवाना बनाम ढीगर व अन्य

ा न्यायालय

ा संख्या 44/2021

ांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	जाने पर भी तलबी नहीं करवाई गई। वादी अधिवक्ता द्वारा बार-बार जान बूझकर न्यायालय आदेशों की अवहेलना की गई। अतः पत्रावली न्यायालय आदेशों की अवहेलना में 09R5 सी॰पी॰सी॰ के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रै /मु.) चौमूँ	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:11:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner